मैगी को लेकर माधुरी दिक्षित को नोटिस

मैगी का विज्ञापन करने के मामले में अभिनेत्री माधुरी दीक्षित को हरिद्वार के खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से नोटिस भेजा गया है। नोटिस में विज्ञापन करने वाले दावों की रिपोर्ट मांगी गई है।

साथ ही 15 दिन में जवाब नहीं देने पर एडीएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराने की चेतावनी दी गई है।खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशों पर नेस्ले कंपनी के प्रोडक्ट मैगी पर कार्रवाई जारी है।

हरिद्वार के खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से मैगी का विज्ञापन करने वाली अभिनेत्री माधुरी दीक्षित को नोटिस भेजकर सात बिंदुओं पर जवाब मांगा गया है। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी ने नोटिस में पूछा है कि मैगी हेल्थ को मजेदार कैसी बनाती है ?

कब विज्ञापन किया था और विज्ञापन वाले अनुबंध की प्रति भी मांगी गई है। साथ ही पूछा गया है कि विज्ञापन बनाने के लिए कितनी धनराशि प्राप्त हुई और अनुबंध कितने दिनों का है।

उन्होंने बताया कि नोटिस में चेतावनी दी है कि यदि 15 दिन में जवाब नहीं दिया तो एकतरफा कार्रवाई करते हुए एडीएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। जिला खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने रानीपुर मोड़ पर स्थित विशाल मेगा मार्ट में बेचने के लिए रखे नेस्ले की मैगी के दो सैंपल लिए हैं।

जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी ने बताया कि सैंपल भरने के अलावा विशाल मेगा मार्ट प्रबंधक, सप्लायर राधे कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी, निर्माता कपंनी नेस्ले प्लांट पंतनगर को भी नोटिस भेजकर 15 दिन में जवाब मांगा गया है।

साभार- अमर उजाला से